

न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि "ज़ियो डिजिटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड" द्वारा धमतरी जिले के धमतरी वनमंडल अंतर्गत धमतरी-अंजोरा, अंजोरा-नगरी, दोमपदर-मानपुर, काडादाह- माडमसिल्ली एवं गोबरानवापारा-पाण्डुका के मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 165.460 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ-वे (RoW) अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु 3.786 हे. वन भूमि गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 (FCA 1980) के तहत व्यपवर्तित किया जाना है। इस प्रकरण में मांग की गई भूमि आवश्यक एवं न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।



(अमन कुमार सिंह)

महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)

ज़ियो डिजिटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड
रायपुर (छ.ग.)

वन मंडलाधिकारी,
धमतरी वन मण्डल, धमतरी